संख्या-499 /1-10-2016-33(34)/2016टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बस्ती, बलिया, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, हरदोई, महराजगंज, बलरामपुर, गोण्डा, फैजाबाद, बहराइच, रायबरेली, अम्बेडकर नगर, शाहजहाँपुर, बदायूं एवं खीरी।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 26 अप्रैल, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-17 में अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 5,95,00,000/- (रूपये पाँच करोड़ पंचानबे लाख मात्र) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम सं0	जनपद का नाम पत्रांक व दिनांक	मद	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रूपये में)
1	बस्ती, पत्र संख्या-1394 दिनांक 12 अप्रैल, 2016	अग्निकाण्ड	35,00,000
2	बलिया, पत्र संख्या-1834 दिनांक 11 अप्रैल, 2016	अग्निकाण्ड	15,00,000
3	जौनपुर, पत्र संख्या-06 दिनांक 11 अप्रैल, 2016	अग्निकाण्ड	35,00,000
4	सिद्धार्थनगर, पत्र संख्या-07(1) दिनांक 12 अप्रैल, 2016	अग्निकाण्ड	35,00,000
5	हरदोई, पत्र संख्या-338 दिनांक 11 अप्रैल, 2016	अग्निकाण्ड	35,00,000

6	महराजगंज, पत्र संख्या-1194 दिनांक 10 अप्रैल, 2016	अग्निकाण्ड	1,10,00,000
7	बलरामपुर, पत्र संख्या-4839 एवं 4841 दिनांक 09 अप्रैल, 2016 एवं 11 अप्रैल, 2016	अग्निकाण्ड	35,00,000
8	गोण्डा, पत्र संख्या-02(154) दिनांक 11 अप्रैल, 2016	अग्निकाण्ड	25,00,000
9	फैजाबाद, पत्र संख्या-01 दिनांक 07 अप्रैल, 2016	अग्निकाण्ड	10,00,000
10	बहराइच, पत्र संख्या-01 दिनांक 07 अप्रैल, 2016	अग्निकाण्ड	35,00,000
11	रायबरेली, पत्र संख्या-956 दिनांक 06 अप्रैल, 2016	अग्निकाण्ड	35,00,000
12	अम्बेडकर नगर, पत्र संख्या-949 दिनांक 07 अप्रैल, 2016	अग्निकाण्ड	35,00,000
13	शाहजहांपुर, पत्र संख्या-891 दिनांक 02 अप्रैल, 2016	अग्निकाण्ड	35,00,000
14	बदायूं, पत्र संख्या-1000 दिनांक 01 अप्रैल, 2016	अग्निकाण्ड	35,00,000
15	खीरी, पत्र संख्या-13 दिनांक 10 अप्रैल, 2016	अग्निकाण्ड	85,00,000
			रू0 5,95,00,000 (रूपये पांच करोड़ पंचानबे लाख मात्र)

2- शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में

ई-पैमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में हीं आपदा से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान किये जाने के लिये केवल दैवी आपदा मद से तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार धनराशि आहरित कर चेक/ड्राफ्ट/नकद के रूप में नियमानुसार वितरण किया जायेगा ।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-07-अग्निकाण्ड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जाय । अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

5- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का अवश्य अनुपालन किया जायेगा।

6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढकर सुनाया भी जाये।

8- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करते हुये व्यय का लेखा-जोखा रखना तथा पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वैबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय ।

10- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो

उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

11- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

12- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्याः 499 (1)/1-10-2016, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-27/04/2016

प्रेषण संख्या:- 004-33

आवंटन आदेश संख्या:- 004-33

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

07 - अग्निकांड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 5000000	3500000 5000000
2	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 5000000	3500000 5000000
3	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 5000000	3500000 5000000
4	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 3000000	1500000 3000000
5	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 5000000	3500000 5000000
6	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 5000000	3500000 5000000
7	हरदोई-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 5000000	3500000 5000000
8	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8500000 10000000	8500000 10000000
9	फैजाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2500000	1000000 2500000
10	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 4000000	2500000 4000000

(शिवराम)
वित्त नियंत्रक एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन

11	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 5000000	3500000 5000000
12	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 5000000	3500000 5000000
13	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	11000000 12500000	11000000 12500000
14	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 5000000	3500000 5000000
15	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 5000000	3500000 5000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	59500000 82000000	59500000 82000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ पंचानवे लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया आठ करोड़ बीस लाख

(शिव राम)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
उ०प्र० शासन

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी